भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1968

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कोरोनरी स्टेंट संबंधी मूल्य सीमा

1968. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के संज्ञान में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के खुलासे/रिपोर्ट के माध्यम से यह बात आई है कि कई संस्थानों ने मूल्य सीमा के पश्चात् होने वाली क्षति की भरपाई के लिए गैर-स्टेंट घटकों के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो निजी अस्पतालों को कोरोनरी स्टेंट संबंधी सीमा का पालन कराने के लिए शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) एनपीपीए के निष्कर्षों के अनुसार बढ़े हुए बिलों के कारण क्या हैं और किस प्रकार उन कमियों को दूर किया गया;

(घ) क्या एनपीपीए में मूल्य निर्धारण में उल्लंघन की जांच के लिए निजी अस्पतालों की निगरानी करने की कोई प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्टेंट के मूल्य संबंधी सीमा के कारण मरीजों को मूल्य लाभ हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 12.02.2018 को अधिसूचना सां.आ. संख्या 639 (अ) जारी की, जिसके अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया कि कोरोनरी स्टेंट के विवरण के अतिरिक्त, एंजियोप्लास्टी करने वाले सभी

स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान कार्डियक कैथेटर, बैलून कैथेटर और गाइड वायर जैसे गैर-स्टेंट घटकों के संबंध में कंपनी के नाम, ब्रांड नाम, बैच नंबर और विनिर्देशों के साथ बिलिंग लागत का विवरण का भी अलग से उल्लेख करेंगे जिससे बिलिंग में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और डीपीसीओ, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) की प्रभावी निगरानी की जा सके। इसके अलावा, बैलून कैथेटर, डिलीवरी कैथेटर आदि जैसे गैर-स्टेंट घटक गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरण हैं और डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इन गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरणों के मूल्य में पिछले 12 माह के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं है। एनपीपीए आयातकों और विनिर्माताओं द्वारा भरे गए फॉर्म V/VI की निगरानी करता है, जिसमें कंपनियां कोरोनरी स्टेंट की एमआरपी बताती हैं।

(ङ) और (च): औषध विभाग ने वर्ष 2023 में एक अध्ययन शुरू किया, जिसका शीर्षक था "आठ चिकित्सा उपकरणों के मूल्य पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ, 2013) का उपलब्धता और सामर्थ्य के संदर्भ में उद्योग और उपभोक्ताओं पर प्रभाव"। इस अध्ययन में आठ चिकित्सा उपकरणों में कोरोनरी स्टेंट भी शामिल थे। इस अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया गया है कि कार्डियक/कोरोनरी स्टेंट पर अधिकतम मूल्य के निर्धारण ने कार्डियक स्टेंट की उपलब्धता और वितरण को बढ़ावा दिया है, जिससे वे जरूरतमंद रोगियों के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं।

*****